राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांकः प4(1)वित्त/आब/2015 दिनांक : 24 फरवरी, 2015

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर।

विषयः— डोडा—पोस्त नीति वर्ष 2015—16 के निर्धारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा डोडा—पोस्त नीति वर्ष 2015—16 निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः—

1 **अवधिः—**

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2015 से 31.03.2016 तक) होगी।

2 **बन्दोबस्त की प्रणालीः—**

वर्ष 2015—16 हेतु डोडा—पोस्त का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है :

2.1 डोडा—पोस्त के वर्ष 2014—15 के अनुज्ञापत्र निश्चित वार्षिक लाईसेन्स फीस पर नवीनीकृत किये जायेगें ।

2.2 वर्ष 2015—16 हेतु समूहों के गठन का आधार वित्तीय वर्ष 2014—15 के अनुरूप यथावत रहेगा।

3. **डोडा—पोस्तः—**

3.1 **बन्दोबस्त प्रक्रिया :—**

डोडा—पोस्त समूहों का बन्दोबस्त वर्ष 2015—16 हेतु निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3.1.1 वर्ष 2014—15 के लिये निर्धारित 24 उपभोग क्षेत्र एवं उसके समकक्ष ही 24 उत्पादन क्षेत्रों को यथावत रखते हुये उनके लिये निर्धारित वार्षिक अनुज्ञाराशि को वर्ष 2015—16 के लिये यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।

3.1.2 वर्ष 2014–15 के 24 संयुक्त समूहों के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2015–16 के लिये उपरोक्त निर्धारित वार्षिक अनुज्ञाराशि पर नवीनीकरण का विकल्प दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015–16 के लिये नवीनीकरण से शेष रहे डोडा–पोस्त संयुक्त समूहों का आवंटन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। इस प्रकिया में उत्पादन क्षेत्रों के समूह हेतु पृथक से लॉटरी नही की जायेगी। उत्पादन क्षेत्र को सम्बन्धित उपभोग क्षेत्र के साथ ही जोड़कर आवंटित किया जायेगा। एक व्यक्ति को उपभोग एवं उत्पादन क्षेत्र हेतु निर्धारित संयुक्त समूह में से एक से अधिक समूह का आवंटन नही किया जायेगा।

3.2 नवीनीकरण अथवा नवीनीकरण से शेष समूहों के लिये आवेदन शुल्कः–

3.2.1 उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्र के संयुक्त समूहों के नवीनीकरण आवेदन हेतु नवीनीकरण आवेदन शुल्क उस समूह के लिये वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित वार्षिक अनुज्ञाराशि का 10% निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3.2.2 नवीनीकरण से शेष रहे डोडा–पोस्त संयुक्त समूह का आवंटन वर्ष 2014–15 के अनुरूप लॉटरी के द्वारा किया जायेगा। इसके लिये आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

10 तक खुदरा दुकानों वाले समूह हेतु	रू. 25000
10 से अधिक खुदरा दुकानों वाले समूह	रू. 50000

3.3 कृषकों से डोडा–पोस्त का खरीद मूल्यः–

वर्ष 2015–16 के लिये डोडा–पोस्त खरीद हेतु कृषको को देय खरीद मूल्य रू.125 प्रति किलोग्राम यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया है।

3.4 डोडा–पोस्त का अधिकतम विक्रय मूल्यः–

डोडा–पोस्त का निर्धारित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य रुपये 500 प्रति किलोग्राम यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया है।

3.5 राज्य में डोडा–पोस्त की कुल मांग तथा डोडा–पोस्त उत्पादन वाले जिलों में कुल कितनी आरी में अफीम की काश्त की गई है, इसके आधार पर उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक काश्तकार से प्रति आरी कितना डोडा–पोस्त क्रय किया जाना आवश्यक होगा, का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारी को इस प्रकार नियमार्न्तगत अफीम के प्रत्येक काश्तकार एवं प्रत्येक गांव से उक्त निर्धारित मात्रा के अनुरूप डोडा–पोस्त क्रय करना आवश्यक होगा।

4. आबकारी बन्दोबस्त के अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग